संख्याः 827/35–1–2013–2/1(60)/2011

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश,
कालाकांकर भवन, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 *लखनऊः दिनांक 29 नवम्बर, 2013*

विषयः वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के सन्दर्भ में विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, कालाकांकर भवन, लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग के पदों के पदनाम व वेतनमान आदि निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्याः 218/35–1–2012–2/1(60)/2011, दिनांक 04 अप्रैल, 2012 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–401/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011 तथा संख्याः वे0आ0–2–2105/दस–54 (एम)/2008–टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के कम में राज्यपाल महोदय विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के लिपिकीय संवर्ग में उपलब्ध विभिन्न पदों को इस शासनादेश से संलग्न तालिका के अनुसार निम्नवत् पुनर्गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस शासनादेश से संलग्न तालिका के स्तम्भ–2 तथा 3 में उल्लिखित कमशः वर्तमान पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की प्रकिया एवं अर्हता के स्थान पर दिनांक 18 मार्च, 2011 से स्तम्भ–4 तथा 5 के अनुसार कमशः पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता निर्धारित की जाये।

(2) उक्त तालिका के स्तम्भ–4 एवं 5 में दिनांक 18 मार्च, 2011 से निर्धारित व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से स्तम्भ–6 तथा 7 के अनुसार कमशः पदनाम/पदों की संख्या/पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की प्रकिया/अर्हता निर्धारित की जाये।

.....2/–

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार पुनर्गठन के फलस्वरूप उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनदेश संख्या–वे0आ0–2–841/दस–59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–577/दस–59(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 29 जून, 2010 में किये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

3. विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के लिपिकीय संवर्ग के पदों पर उपर्युक्त प्रस्तर–1 के अनुसार अर्हता/भर्ती की प्रकिया निर्धारित करने हेतु विभागीय नियमावली में संशोधन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जाये।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे0आ0–1–505/दस–2013, दिनांक 07.11.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्याः 827(1)/35–1–2013–2/1(60)/2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. निदेशक, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश को नियोजन विभाग की बेवसाइट पर डाले जाने हेतु।
5. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(हरीश चन्द्र मित्रा)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या– 827/35–1–2013–2/1(60)/2011, दिनांक 29 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

क0 सं0	वर्तमान व्यवस्था		पुनर्गठन (दिनांक 18 मार्च,2011 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित व्यवस्था		पुनर्गठन (दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 से प्रभावी) के अनुसार निर्धारित व्यवस्था	
	पदनाम (पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/पद संख्या	भर्ती की प्रकिया एवं अर्हता	पदनाम (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/पद संख्या	भर्ती की प्रकिया/अर्हता	पदनाम/(वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन रू0 में)/पद संख्या	भर्ती की प्रकिया/अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कनिष्ठ लिपिक/टंकक (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन 1900/–) /08	विभागीय सेवा नियमावली के अनुसार	कनिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन 2000/–) /08	(1) 80 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती। अर्हता– इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम कमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (2) राज्य सरकार के सामान्य आदेशों के अनुसार 15 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो हाई स्कूल हो तथा टंकण ज्ञान रखते हों। 05 प्रतिशत पदों को चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति जो इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों।	स्तम्भ–4 के अनुसार	स्तम्भ–5 के अनुसार
2.	वरिष्ठ लिपिक(12)/लेखा लिपिक(1)/ कुल 13 पद	– तदैव–	वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन 2800/–) /13	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।	स्तम्भ–4 के अनुसार	स्तम्भ–5 के अनुसार

क्रमशः 2/–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	वरिष्ठ सहायक(09) तथा सहायक लेखाकार (01) (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन 2800/–)/ **कुल 10 पद**	– तदैव–	वरिष्ठ सहायक (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन 2800/–) /**10**	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से।	प्रधान सहायक/(वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4200/–)/**10**	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा वरिष्ठ सहायक के पदों से।
4.	प्रशासनिक अधिकारी(वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4200/–)/**01**	– तदैव–	प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4200/–)/**01**	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा–05 वर्ष की सेवा वाले वरिष्ठ सहायक के पदों से।	प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन 4600/–)/**01**	शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से।
	पदों का कुल योग–32		पदों का कुल योग–32			

(हरीश चन्द्र मित्रा)
संयुक्त सचिव।